कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-mail:nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक–3207 / FP/UK/ROAD/10925/2015 :देहरादून:दिनांकः 27 मई, 2019

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः–जनपद चमोली के अन्तर्गत सोनला–कण्डारा से कांचुला गैन मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.00 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या– FP/UK/ROAD/10925/2015)

संदर्भः–भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या– 8बी/यूसीपी/06/229/2015/एफसी/1420 दिनांक 12–10–2018

महोदय,

कृपया भारत सरकार के उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तों के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर के पत्रांक 3756/12–1 दिनांक 10–05–2019 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जो निम्न प्रकार संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैः–

1. शर्त संख्या–1 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 8.00 हे0 ग्राम–ग्वाड़ सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु देय धनराशि रू0 22,29,320.00 मात्र तदर्थ कैम्पा कोष में ऑनलाईन चालान के माध्यम से जमा की जा चुकी है। प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित 8.00 हे0 ग्राम–ग्वाड़ सिविल सोयम भूमि को वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन किया जा चुका है, जिसके अभिलेख संलग्न कर प्रेषित किये जा रहे है। **(संलग्नक–1)**
2. शर्त संख्या–2 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 35,88,000.00 मात्र तदर्थ कैम्पा कोष में ऑनलाईन चालान के माध्यम से जमा की जा चुकी है।
3. शर्त संख्या–3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित एन0पी0वी0 की बचनबद्धता का प्रमाण–पत्र संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–2)**
4. शर्त संख्या–4 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्तानुसार कुल धनराशि रू0 58,17,320.00 के ऑनलाईन रसीद की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–3)**
5. शर्त संख्या–5 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रेषित Strip Plantation किये जाने के वचनबद्धता की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-4)
6. शर्त संख्या–6 के अनुपालन में सूचित करना है कि विषयांकित वन भूमि प्रस्ताव की हार्ड प्रति इस कार्यालय के पत्रांक 1721 दिनांक 19–12–2015 के द्वारा भारत सरकार को पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है। Revised Geo-referenced digital map के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ के उपरोक्त उल्लिखित पत्र दिनांक 10–05–2019 के क्रम सं0–6 के द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त मानचित्र निर्धारित स्थान पर अपलोड किया जा चुका है।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीय,

(ए0के0 गुप्ता)
वन संरक्षक

संख्या / FP/UK/ROAD/10925/2015 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
3. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गौचर।

(ए0के0 गुप्ता)
वन संरक्षक